न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 118 **दर्ज दिनांक– 07.03.2024**
मुकदमा नम्बर 32 / 2024

तेजपाल पुत्र गुगनराम वगैरह जाति माली निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री नेमीचन्द डूडी, श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड तहसील नवलगढ की सरहद में खाता सख्यां नया 402 पुराना 423 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1120, 1864 / 1099, 1868 / 1099, 1872 / 1099, 1874 / 1693, 1875 / 1014 रकबा क्रमशः 0.2100, 0.0400, 0.0500, 0.0300, 0.0900, 0.1600 कुल किता 6 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पिता का नाम नोरंग के स्थान पर गुगनराम दुरूस्त किया जावे, व प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम नोरंग के स्थान पर गुगनराम दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड तहसील नवलगढ की सरहद में खाता सख्यां नया 402 पुराना 423 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1120, 1864 / 1099, 1868 / 1099, 1872 / 1099, 1874 / 1693, 1875 / 1014 रकबा क्रमशः 0. 2100, 0.0400, 0.0500, 0.0300, 0.0900, 0.1600 कुल किता 6 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पिता का नाम नोरंग के स्थान पर गुगनराम दुरूस्त किया जावे, व प्रार्थीया संख्या 4 के पति का नाम नोरंग के स्थान पर गुगनराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय / आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू